संख्या- 2565/15-7-16(58)/1996

प्रेषक,

श्री आलोक चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र, 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीतविहार नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 30 अगस्त, 1997

विषय:- राजेन्द्र लोहिया विद्या मन्दिर हाथरस अलीगढ़ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजेन्द्र लोहिया विद्या मन्दिर हाथरस अलीगढ़ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ कोई आपत्ति नहीं है :-

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3- विद्यालय में कम से कम [illegible] प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और इनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त रहा हो तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद [illegible] कि अनुदान सूची [illegible] से प्राप्त होती है तो उन परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5- संस्था अध्यापकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय अध्यापक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ प्रदान कराये जायेंगे।

Principal
R. L. Vidya Mandir
HATHRAS

Manager
R. L. Vidya Mandir
HATHRAS

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना [illegible] के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि [illegible] द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

सुधीर [illegible]
संयुक्त सचिव ।

पृ०सं० 2565(1)/15-7-1997 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ ।
4- निदेशक, [illegible] [illegible], [illegible] लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, राजेन्द्र लोहिया विद्या मन्दिर, हाथरस अलीगढ़ ।

आज्ञा से,

सुधीर [illegible]
संयुक्त सचिव ।

Principal
R. L. Vidya Mandir
HATHRAS

Manager
R. L. Vidya Mandir
HATHRAS